सं 1/17/2010–पी एंड पी डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग,
डेस्क ई

तीसरा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-03 दिनांक 2 जनवरी, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लापता परिवारिक पेंशनभोगियों के मामले में परिवार में अगले पात्र सदस्य को परिवारिक पेंशन प्रदान करने के संबघ में।

अधोहस्ताक्षारी को यह बताने का निदेश हुआ है कि सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराओं 107 एवं 108 में निहित 7 वर्षों की अवधि को छोटा करके, सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में, लापता कर्मचारी / पेंशनभोगियों के मामले में सशर्त प्रावधान किए गए है, जिसके पश्चात लापता व्यक्ति जीवित नहीं रहने के अनुमान को प्रस्तुत किया जा सकता है तथा पुलिस में प्रथम सूचना रिर्पोट (एफ आई आर) दर्ज करवाने के 6 महीने बाद पारिवारिक पेंशनभोगी को पेंशन देने का प्रबंध किया जा सकता है। तथापि, पारिवारिक पेंशनभोगी के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं कि कर्मचारी / पेंशनभोगी के परिवार के अगले पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाए।

2. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे है कि क्या लापता धोषित किए गए पारिवारिक पेंशनभोगी के पात्र बच्चे / बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जा सकती है।

3. इस मामले पर व्यय विभाग, वित मंत्रालय के परामर्श से इस विभाग में विचार किया गया है। पारिवारिक पेंशनभोगी के लापता होने के परिणामस्वरूप इसके वैध पारिवारिक पेंशन के वंचन से हुई परिवार की कठिनाईयों को कम करने के लिए इसी प्रकार के प्रावधानों को बनाने का निर्णय किया गया है। प्रशासनिक विभाग / मंत्रालय परिवार में अगले पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन प्रदान कर सकता है जो लापता कर्मचारियों / पेंशनभोगियों के मामले के संबंध के समय समय पर यथानिर्धारित शर्तो को पूरा करने के अधीन हैं।

4. लापता पेंशनभोगियों हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति बांड को अगले पात्र पारिवारिक सदस्य के साथ साथ मृतक कर्मचारी / पेंशनभोगी तथा लापता पारिवारिक पेंशनभोगी के नाम एवं संबंध को सम्मिलित करने के लिए उपंयुक्त रूप से संशोधित कर दिया गया है।

5. ये प्रावधान ऐसे व्यक्ति के मामले में भी मान्य होंगें, जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, परंतु वह उसको पारिवारिक पेंशन मंजूर किए जाने के पूर्व ही लापता हो जाता है। ऐसे मामलों में, पारिवारिक पेंशन अगले पात्र व्यक्ति को मजूंर होगी।

6. इसे व्यय विभाग की आई डी संख्या 380/ ई.V/2011, दिनांक 22.11.2011 के द्वारा उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

(के.के. मितल)
निदेशक
दूरभाष 24624752

~~भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग को~~
विभाग में बनाई गई सूची के अनुसार पेंशनभोगी एसोसिएशनों को